उप खण्ड अधिकारी

3-11-22 पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली में पारित
में रहने से पूर्वतः दिनांक 10-11-22
को प्रस्तुत की।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी भादी

10.11.22 पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी
की उप. रहा है वकील वादी व प्रतिवादी
को तीन बार आवाज लगवाई गयी बावजूद
सूचना के न्यायालय में उप. नहीं है। अतः
वादी का वाद अंतिम हाजरी अंतिम पेशी
में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल
शुमार होकर वाद तामील तकमील के
दायित्व समाप्त है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner